

प्रेषक,

विजय कुमार यादव,
सचिव(प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्(यू-कास्ट),
देहरादून।

सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-2:

देहरादून: दिनांक: 29 अप्रैल, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-2022 की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक- 19456 दिनांक 08 अप्रैल, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्यय के अन्तर्गत अनुदान संख्या-23 लेखाशीर्षक-3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60 अन्य-004 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्-07 को सहायता हेतु मतदेय-05 में वेतन भत्ते आदि मदों में रु 150.00 लाख, मतदेय-56 सहायक अनुदान(सामान्य गैर वेतन) में से सलग्न सारणीनुसार प्रशासकीय व्यय एवं वैज्ञानिक परियोजनाओं मदों में कमशः रु 74.50 लाख रु 150.50 लाख अर्थात् रु 225.00 लाख की धनराशि सम्बन्धित कम्प्यूटर आई0डी0 सहित आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1-उक्त धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-423 दिनांक 31.03.2021 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रथमतः स्वायत्तशासी संस्था की उपविधियों एवं निहित नियमों के अनुसार संस्था की नियमानुसार गठित समितियों में व्ययमदों के संबंध में नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त कर व्यय के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। व्यय केवल अनुमोदित मदों के अनुसार एवं सीमान्तर्गत सुनिश्चित किया जाय। किसी भी मद परिवर्तन हेतु प्राधिकृत समिति/शासन का अनुमोदन आवश्यक होगा। किसी मद के अन्तर्गत नये कार्य प्रस्तावित हों तो प्रथमतः प्रस्तावों पर सक्षम समिति एवं शासन का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरांत अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2-व्यय प्रस्तावों पर वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में निहित प्रावधानों एवं मितव्ययता के संबंध में निर्गत संगत समस्त शासनादेशों एवं नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

3-यदि किसी व्यय मद हेतु धनराशि पी0एल0ए0 अथवा अन्य किसी सम्बन्धित मद/लेखाशीर्षक में अवशेष हो, तो सर्वप्रथम अवशेष धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय एवं तदपरान्त ही अवमुक्त की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाय। किसी भी दशा में वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि को समायोजन, व्यय, अतिरिक्त व्यय भार हेतु आरक्षित नहीं की जाय।

4-धनराशि का आहरण, मासिक आधार पर किश्तों में, वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही, किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिक व्ययभार सृजित न किया जाय।

कमशः-2

(2)

5-योजना/कार्य मदों में धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व योजना/कार्य की कुल अवधि, अनुमानित लागत, औचित्य/लक्ष्य एवं चालू वित्तीय वर्ष में उक्तानुसार निर्धारित मानकों के आधार पर प्रस्तावित लक्ष्य इत्यादि का भलिभांति निर्धारण किये जाने के उपरांत व्यय सुनिश्चित किया जाय।

6-निर्गत की जा रही धनराशि के व्यय के बिल जिलाधिकारी, देहरादून से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरांत कोषागार से आहरित किये जाय। मासिक व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित निर्देश एवं प्रारूपानुसार समयबद्ध रूप से आख्या का प्रेषण एवं ऑनलाईन अपडेशन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। समस्त भुगतान के संबंध में डी0बी0टी0 एवं पी0एल0ए0 खाते से सम्बन्धित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7- उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2022 तक किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा इस आशय का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-423/9(150)-2019/XXVII(1)/2021 दिनांक 31 मार्च 2021 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-ऑलाटमेन्ट आई0डी0।

भवदीय,

(विजय कुमार यादव)
सचिव(प्रभारी)।

संख्या: 59 /XXXIV-2/2021/04 /2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-जिलाधिकारी, देहरादून।
- 3-अपर सचिव, वित्त-बजट, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
- 6-निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
- 7-वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
- 8-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कामीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।